प्रेस नोट
दिनांक 23.01.2025

पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में ड्रग डिस्पोजल कमेटी द्वारा एन0डी0पी0एस0 एक्ट के मुकदमों से सम्बन्धित 517.157 किलो ग्राम मादक पदार्थ (लगभग 4 करोड़ 53 लाख) को जलाकर किया गया नष्ट–

शासन की मंशा के अनुरूप पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में जनपद के सभी थानों में पंजीकृत एन0डी0पी0एस0 एक्ट के मुकदमों से सम्बन्धित मादक पदार्थ के निस्तारण/विनिष्टीकरण कराये जाने के अभियान के क्रम में जिला स्तरीय डीडीसी कमेटी की उपस्थिति में मैजापुर चीनी मिल में एन0डी0पी0एस0 एक्ट के 180 मुकदमों से सम्बन्धित लंबित मालों का विनष्टीकरण कराया गया।

आज दिनांक 23.01.2025 को पुलिस अधीक्षक गोण्डा के पर्यवेक्षण में गठित जिला स्तरीय ड्रग डिस्पोजल कमेटी (डीडीसी) के सदस्यों की मौजूदगी में मैजापुर चीनी मिल में जनपद में पंजीकृत 180 मुकदमों से सम्बन्धित मालों (गांजा 484.64 किलो ग्राम, चरस 15.65 किलो ग्राम, हिरोइन 1.574 किलो ग्राम व अन्य नशीला पदार्थ 15.293 किलो ग्राम कुल 517.157 किलो ग्राम) को जलाकर विनष्टीकरण की कार्यवाही की गयी तथा पूरी कार्यवाही की वीडियोंग्राफी भी करायी गयी। नष्ट किए गए मालों की अनुमानित कीमत **4 करोड़ 53 लाख 13 हजार 300 सौ रूपये** है।

महोदय द्वारा बताया गया कि गोण्डा पुलिस द्वारा चलाये जा रहे नशा मुक्त अभियान के तहत लगातार की जा रही कार्यवाही में बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद कर पुलिस द्वारा नशे के अवैध कारोबारियों पर कड़ी कार्यवाही की गयी थी। जिसे आज गठित जिला स्तरीय ड्रग डिस्पोजल कमेटी के सदस्यों की मौजूदगी में मैजापुर चीनी मिल में नष्ट कराया गया।

इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत, क्षेत्राधिकारी नगर आनन्द कुमार राय, डीडीसी कमेटी के सदस्य, प्रभारी डीसीआरबी उ0नि0 संजीव वर्मा, का0 संजय कुमार, समस्त थानों के हेडमुहर्रिर सहित मैजापुर चीनी मिल के अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहे।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 23.01.2025

‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत प्रभावी पैरवी से मारपीट करने के 08 आरोपी अभियुक्तों को हुई 02–02 वर्ष कठोर कारावास व प्रत्येक को रू0 10,000–10,000/–– के अर्थदण्ड की सजा–

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 23.09.2025 को थाना को0 कर्नलगंज क्षेत्रान्तर्गत ग्राम कंचनापुर में दो पक्षों के मध्य खूटा गाड़ने की बात को लेकर गाली गलौज देते हुए लाठी डण्डा से मार पीट की गयी थी। जिसमें दोनो पक्षों के लोग घायल हो गए थे। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर दोनो पक्षों के मध्य सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा दोनो पक्षो के 08 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेला भेजा गया था।

दोषसिद्धि का विवरण–

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम एवं श्रीमान् पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसके क्रम मे थाना को0 कर्नलगंज में मारपीट के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोगों मे माननीय न्यायालय/पीठासीन अधिकारी महोदया नम्रता अग्रवाल द्वारा प्रभारी मॉनिटरिंग सेल श्री प्रदीप कुमार शुक्ला, लोक अभियोजक श्री अनुभव चतुर्वेदी, कोर्ट मोहर्रिर का0 सौरभ प्रताप सिंह व थाना को0 कर्नलगंज के पैरोकार हे0का0 दीनबन्धु दूबे की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप आज दिनांक– 23.01.2025 को दोषी अभियुक्तों को 02 वर्ष का कठोर कारावास व प्रत्येक को रू0 10,000/– रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

अभियुक्तगण का नाम पता–

प्रथम पक्ष–

01. हवलदार सिंह पुत्र तरून सिंह नि0 ग्राम कंचनापुर थाना को0 कर्नलगंज जनपद गोण्डा।
02. फौजदार सिंह पुत्र तरून सिंह नि0 ग्राम कंचनापुर थाना को0 कर्नलगंज जनपद गोण्डा।
03. श्रीमती प्रेमावती पत्नी तरून सिंह नि0 ग्राम कंचनापुर थाना को0 कर्नलगंज जनपद गोण्डा।
04. तरून सिंह पुत्र हरिबक्श सिंह नि0 ग्राम कंचनापुर थाना को0 कर्नलगंज जनपद गोण्डा।

द्वितीय पक्ष–

01. सुनील कुमार सिंह उर्फ लालू सिंह पुत्र अमरेश सिंह नि0 ग्राम कंचनापुर थाना को0 कर्नलगंज जनपद गोण्डा।
02. लेखराम सिंह पुत्र गनेश सिंह नि0 ग्राम कंचनापुर थाना को0 कर्नलगंज जनपद गोण्डा।
03. श्रीमती आरती सिंह पुत्र लेखराम सिंह नि0 ग्राम कंचनापुर थाना को0 कर्नलगंज जनपद गोण्डा।
04. गनेश सिंह पुत्र बाऊर सिंह नि0 ग्राम कंचनापुर थाना को0 कर्नलगंज जनपद गोण्डा।

अभियोग का विवरण–

01. मु0अ0सं0–372/2015, धारा 323,324,504 भादवि थाना को0 कर्नलगंज जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0सं0–372ए/2015, धारा 308,323,504 भादवि थाना को0 कर्नलगंज जनपद गोण्डा।

मीडिया सेल, गोण्डा